प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताएं

भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इसके बाद से, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने से लेकर जनसंख्या संतुलन बनाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने में देश ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

1952 के बाद मृत्यु दर में जैसे जैसे तेजी से गिरावट आई और जन्म दर में वृद्धि हुई, नीति निर्माताओं ने जनसंख्या वृद्धि और देश के आर्थिक विकास और उन्नति पर इसके संभावित प्रभाव पर अत्यधिक चिंता दिखाई। गरीबी का कारण जनसंख्या विस्फोट है और देश के विकास के लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है - इस मूल धारणा को आधार बनाकर देश 1976 में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेकर आया[1]। जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के अपने प्रयास में, आपातकाल के दौरान कुछ राज्य-प्रायोजित जनसंख्या नियंत्रण उपायों और बाद में एक लक्ष्य-अनुकूल दृष्टिकोण ने लोगों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर एक अवांछित नकारात्मक प्रभाव छोड़ा, विशेष रूप से गरीब और शोषित पुरुषों पर, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है।

पिछले दो दशकों में, सरकार ने सामने आए वैश्विक साक्ष्यों, अध्ययनों, और प्रतिबद्धताओं के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और इसकी जनसंख्या नीति पर दुबारा चर्चा की और इसे फिर से तैयार किया। मौजूदा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000, सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से परिवार नियोजन, सूचित-विकल्प और सहमति के सिद्धांतों का पालन करती हैं और स्वैच्छिक है। यह परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लक्ष्य-रहित दृष्टिकोण की भी सिफारिश करती है[2]।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 द्वारा निर्देशित हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम में इन महत्वपूर्ण तत्वों को लाने में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन-आईसीपीडी, दीर्घकालिक विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल)-एसडीजी और परिवार नियोजन 2020 (एफपी 2020) जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और समझौते सहायक थे।

आईसीपीडी (ICPD) क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) 1994 में काहिरा में आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम था जिसमें भारत सहित, 179 देशों की सरकारों ने एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन (PoA) को अपनाया, जिसने एक परिवर्तनकारी जनसंख्या और विकास की रणनीति का खाका तैयार किया। इसने राष्ट्रीय और वैश्विक दीर्घकालिक विकास प्रयासों के केंद्र में व्यक्तियों के अधिकारों, जरूरतों और आकांक्षाओं को रखने के लिए जनसंख्या गतिशीलता पर नीतियों का ध्यान स्थानांतरित किया। इसने इस बात की वकालत की कि अधिकारों और पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए, और महिलाओं का सशक्तिकरण प्रजनन स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रगति हासिल करने के लिए आवश्यक है। आईसीपीडी (ICPD) एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और जब कोई किसी देश की वैश्विक स्तर की संधि के बारे में बात करता है, जो प्रजनन स्वास्थ्य को मानव अधिकारों के रूप में मान्यता देता है,[3] तो अक्सर एक संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है।

PEOPLE MATTER

Delhi
B-28, Qutab Institutional Area
PIN – 110016
T: +91-11-43894100

Jaipur
C-9, Shiv Marg, Shyam Nagar
PIN – 302019
T: +91-141-4104771

Lucknow
C-3, Nirala Nagar
PIN – 226020
T: +91-522-4005091

Patna
123 A, Patliputra Colony
PIN – 800013
T: +91-612-2270634

आईसीपीडी (ICPD) आज तक क्यों महत्वपूर्ण है?

आईसीपीडी (ICPD) पर 25 साल बाद 2019 में नैरोबी में फिर से चर्चा की गई, जहां दीर्घकालिक विकास 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकृत किया गया। यह ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि प्रगति परिकल्पना से धीमी रही है और कई देशों को कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 ((एनएफएचएस - 2015-16)[4] ने दर्शाया कि वर्तमान में 13% विवाहित महिलाओं (15-49 वर्ष) में एफपी (परिवार नियोजन) की अपूर्ण-आवश्यकता है और आधुनिक गर्भनिरोधक के प्रयोग में महिला नलबंदी की ओर अत्यधिक झुकाव है। हालांकि आधुनिक गर्भनिरोधक के प्रयोग में वृद्धि हुई है, फिर भी लगभग आधी (47.8 प्रतिशत) भारतीय महिलाएं किसी भी गर्भनिरोधक का प्रयोग नहीं करती हैं[5]. । परिवार नियोजन के लिए बजट प्रारुप और खर्च देश में अपूर्ण-आवश्यकता के मुकाबले कम होता जा रहा है। इससे भी आगे, देश में कथित 'जनसंख्या विस्फोट' समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण उपायों की मांग में वृद्धि हुई है।

भारत के आईसीपीडी (ICPD) के प्रोग्राम ऑफ एक्शन (PoA) पर हस्ताक्षर किए 25 साल से अधिक समय हो गया लेकिन यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी, शिक्षा और सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता से संबंधित ये मुद्दे अभी भी कायम हैं। इन परिस्थितियों में, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, गर्भ निरोधकों की उपलब्धि और पहुंच का विस्तार करने, परामर्श सेवाओं में सुधार और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार अभियानों को एकीकृत करने पर जोर देने के लिए आईसीपीडी (ICPD) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराना प्रासंगिक हो जाता है।

FP2020/2030 (परिवार नियोजन 2020/2030) क्या है?

2012 में लंदन में परिवार नियोजन पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने FP2020 (परिवार नियोजन 2020) साझेदारी नामक एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत की, जहां कई सरकारों ने गर्भनिरोधकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाओं को दूर करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बाधाएं मुख्य रूप से नीति, वित्तपोषण, वितरण और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों से संबंधित हैं। संक्षेप में, FP2020 (परिवार नियोजन 2020) साझेदारी अधिकार-आधारित परिवार नियोजन में निवेश करके, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का एक समन्वित प्रयास है[6]।

2012 में FP2020 (परिवार नियोजन 2020) के एक हस्ताक्षरी के रूप में भारत ने नए गर्भनिरोधकों को शुरू करने और सभी स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में FP (परिवार नियोजन) सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के माध्यम से, गर्भनिरोधक विकल्पों के दायरे और पहुंच का विस्तार करने के लिए, FP (परिवार नियोजन) कार्यक्रमों के लिए 2 अरब अमरीकी डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई। 2017 में FP2020 (परिवार नियोजन 2020) के लंदन शिखर सम्मेलन में, भारत ने 2020 तक FP (परिवार नियोजन) के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया[7]। विज़न FP2020 (परिवार नियोजन 2020) का उद्देश्य बच्चों के बीच उचित अंतराल की सेवाओं पर ध्यान

PEOPLE MATTER

Delhi
B-28, Qutab Institutional Area
PIN – 110016
T: +91-11-43894100

Jaipur
C-9, Shiv Marg, Shyam Nagar
PIN – 302019
T: +91-141-4104771

Lucknow
C-3, Nirala Nagar
PIN – 226020
T: +91-522-4005091

Patna
123 A, Patliputra Colony
PIN – 800013
T: +91-612-2270634

बढ़ाने की वर्तमान नीति में परिवर्तन करना है, बिना स्वैच्छिक रूप से, नसबंदी के माध्यम से, परिवार नियोजन अपनाने को बाधित किए। यह समुदाय द्वारा महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दंपतियों के पसंद से बच्चे हों, न कि संयोग से[8]।

FP2020 (परिवार नियोजन 2020) की पिछले आठ वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर, 69 फोकस देशों की यह साझेदारी, इस समय, एक नया आकार अपना रहा है और FP2030 (परिवार नियोजन 2030) के लिए प्रतिबद्धताओं को तैयार करने की प्रक्रिया में है।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) और परिवार नियोजन

2016 में अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) 17 लक्ष्यों का एक सार्वभौमिक संग्रह है, जो 2030 तक सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य हासिल करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में काम करता है। भारत सहित, 193 देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) को अपनाया है। स्वास्थ्य और कल्याण पर लक्ष्य-3 और लैंगिक (जेंडर) समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर लक्ष्य-5, परिवार नियोजन का विशेष उल्लेख करता है और मातृ मृत्यु दर को कम करने, समय से पहले के प्रसव, नवजात शिशु और बाल मृत्यु को कम करने और परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा सहित, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देता है[9]। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) पर हस्ताक्षरी के तौर पर, भारत 2030 तक FP (परिवार नियोजन) सेवाओं सहित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संदर्भ

[1] National population policy. Yojana. 1983 Jan 26;27(1-2):55-6. PMID: 12312003.
[2] https://www.prb.org/indiaproposesretooledpopulationpolicy/
[3] https://www.unfpa.org/icpd
[4] International Institute for Population Sciences (IIPS) and ICF. 2017. National Family Health Survey (NFHS-4), India, 2015-16: Mumbai: IIPS. http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-4.shtml
[5] International Institute for Population Sciences (IIPS) and ICF. 2017. National Family Health Survey (NFHS-4), India, 2015-16: Mumbai: IIPS. http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-4.shtml
[6] http://familyplanning2020.org/about-us
[7] http://familyplanning2020.org/india
[8] https://advancefamilyplanning.org/sites/default/files/resources/FP2020-Vision-Document%20India.pdf Page 29.
[9] https://sdgs.un.org/goals

PEOPLE MATTER
Delhi
B-28, Qutab Institutional Area
PIN – 110016
T: +91-11-43894100
Jaipur
C-9, Shiv Marg, Shyam Nagar
PIN – 302019
T: +91-141-4104771
Lucknow
C-3, Nirala Nagar
PIN – 226020
T: +91-522-4005091
Patna
123 A, Patliputra Colony
PIN – 800013
T: +91-612-2270634